



सत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, तिनसुकिया
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA TINSUKIA
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
Under Ministry of Education, Govt. of India
Website : <https://tinsukia.kvs.ac.in>
Email : kvtinsukia1894@gmail.com

C.B.S.E. Affiliation Code:-200037

UDISE Code :-18140500312

Vidyalaya Code :- 1894

पत्रांक फा० 42054/2024-25/के०वि० TSK / 612

दिनांक - 24-10-2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया में कंप्यूटर विभाग, पुस्तकालय, फर्नीचर एवं S.U.P.W. विभाग के उपकरणों की नीलामी के लिए उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिनसुकिया संभाग एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया के अनुमति उपरान्त उक्त विभागों की वस्तुओं की कुछ पुरानी / अनुपयोगी सामग्रियां (Condem) किए गए सामान हैं जिस हालत में हैं उसी हालत में नीलामी करना है जिसका विस्तृत विवरण विद्यालय की वेबसाइट <https://tinsukia.kvs.ac.in> पर उपलब्ध है —

अतः इच्छुक व्यक्ति /संस्था से निवेदन है कि दिनांक 06.11.2024 को दोपहर 02:30 बजे केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया प्रांगण में बोली लगाने हेतु उपस्थित रहें।

नीलामी के लिए अन्य "नियम और शर्तें" निम्नानुसार होंगी:-

- (क) बोलीदाता को नीलामी के समय निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- (ख) आरक्षित मूल्य केवल नीलामी के समय ही बताया जाएगा।
- (ग) वस्तुएं सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएंगी।
- (घ) सफल बोलीदाताओं को एक बार बेच दी गई वस्तुएं वापस नहीं ली जाएंगी।
- (ई) सफल बोलीदाता को बोली राशि मौके पर ही कार्यालय में नकद जमा करानी होगी तथा सीएस-12 रसीद प्राप्त करनी होगी।
- (च) नीलाम की गई वस्तुओं को बोलीदाता द्वारा धनराशि जमा करने के 24 घंटे के भीतर अपने खर्च पर हटा लिया जाएगा।
- (छ) नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उच्चतम बोली लगाने वाले के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि उनकी राय में यह उचित नहीं माना जाता है, बिना कोई कारण बताए।

दिलीप

24.10.24

(दिलीप सिंह भाटी)

प्राचार्य / PRINCIPAL

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA

तिनसुकिया / TINSUKIA

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया को सादर सूचनार्थ।
2. के.वि.सं. तिनसुकिया संभाग के अंतर्गत सभी के.वि. के प्रधानाचार्य को व्यापक प्रचार/भागीदारी हेतु।
3. विद्यालय नोटिस बोर्ड।